

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (१) No, Sir

(b) Does not arise

Levelling of area in DIZ Area, New Delhi

1153 SHRI KACHARULAL HFJ RAJ JAIN Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) whether the area in Sector D' of DIZ Area New Delhi from where hundreds of Jhuggis were removed during 1975-76 has been got cleared and levelled, and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) Only 8 Jhuggis interfering with the layout of quarters were removed by the CPWD during the year 1975-76. The area from where these jhuggis were removed has been cleared and levelled.

(b) Does not arise

Storage capacity for Sugar

1154 SHRI M RAMGOPAL REDDY Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether Government have sufficient storage capacity for the carry over stocks of sugar and the sugar being manufactured during the current season, and

(b) if not, what steps Government propose to tide over storage problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) (a) and (b) The

sugar produced by the factories is stored in their own godowns and Government do not provide any godown space for this purpose. All the sugar factories have already been advised to take necessary steps to provide adequate storage accommodation to cover the stocks of sugar as at the close of the year 1976-77 and the production during the year 1977-78.

विश्वविद्यालयों में पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिये प्रवेश

1155 श्री दया राम शास्त्री क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने 55 प्रतिशत भ्रष्ट प्राप्त करने वाले पिछड़ी जातियों के छात्रों को निर्धारित वाटे के आधार पर विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के प्रबन्ध किए हैं,

(ख) यदि हा, तो यह योजना किन-किन रायों में शुरू कर दी गई है, और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले पिछड़ी जातियों के छात्रों को विश्वविद्यालय की प्रि-यूनिवर्सिटी कक्षाओं (गणित) में प्रवेश नहीं दिए गए हैं जबकि पिछड़ी जातियों के लिए कोटा निर्धारित है, और क्या इस संबंध में उन्हें अक्टूबर, 1977 में कोई शिकायत मिली थी, और यदि हा, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बताई गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार उच्च शिक्षा की

सभी सस्थाओं में 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करना अपेक्षित है। वैज्ञिक सस्थाओं को यह सलाह भी दी जाती है कि किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अंकों की न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशतता में 5 प्रतिशत की रियायत दें और यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रखे गए 20 प्रतिशत स्थान नहीं भर पाते तो उस विद्या में अंकों में और आगे छूट दी जाए। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने उच्च शिक्षा की सस्थाओं में पिछड़ी जातियों के लिए स्थानों के ऐसे आरक्षण के लिए कोई मार्गदर्शी रूप रेखाएँ नहीं बताई हैं।

(ख) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में पिछड़ी जातियों से संबंधित छात्रों के लिए स्थान आरक्षित किए हैं —

- 1 बम्बई
- 2 भागलपुर
- 3 बंगलौर
- 4 कुवशेत्र
- 5 कश्मीर
- 6 कर्नाटक
- 7 मद्रास
- 8 मैसूर
- 9 मद्रुरई
- 10 मगध
- 11 मराठावाड़ा
- 12 महाराष्ट्र फुले कृषि विद्यापीठ
- 13 मराठावाड़ा कृषि
- 14 पंजाब
- 15 पंजाबी

- 16 पटना
- 17 पूना
- 18 श्री वैकटेश्वर
- 19 सरदार पटेल
- 20 शिवाजी
- 21 कोचीन
- 22 नागपुर

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य नियम द्वारा रायपुर जिले में रखे गए गेहूँ का खाने योग्य न रहना

1156 श्री ब्या राम शास्त्र कया कृषि और सिबाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय खाद्य नियम का 13 नाख रूपों के मल्य का गेहूँ जो मध्य प्रदेश में रायपुर जिले में खुले में रखा था, मनुष्यों के खाने लायक नहीं रहा, और

(ख) यदि हा, तो सरकार ने भारतीय खाद्य नियम के सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने लापरवाही दिखाई, क्या कार्रवाही की है ?

कृषि और सिबाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) जी नहीं। यह क्षति खाद्यान्नों को डिपो लाने समय मार्ग में हुई थी जब तकानी मौसम के फलस्वरूप 211 बुल्ले बैगनों पर डाली गयी तिरपालों के हट जाने के कारण खाद्यान्न ला रहे बोरे वर्षा से भीग गये थे।

(ख) प्रश्न ही ही नहीं उठता। क्योंकि यह क्षति भारतीय खाद्य नियम के अधिकाधिकारियों की किसी लापरवाही के कारण नहीं हुई थी बल्कि मार्ग में अपरिहार्य कारणों के होते हुए भी।